



न्यायालय अति० जिला कलक्टर, दौसा

|            |  |   |
|------------|--|---|
| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>मु. नं. 38/2018 प्राचीन पत्र खा० सुरेश कुमार बनाम | नम्बर व तारीख<br>अहकाम जो इस<br>हुकम की तामील<br>में जारी हुए |
|------------|--|---|

30-7-18 अधिवक्ता प्राचीन उपस्थित। गृह आदेश की तामील में पत्रावली डिपेंड 68-18 को पेश है।  
  
 अति० जिला कलक्टर  
 दौसा

6-8-18 अधिवक्ता प्राचीन उपस्थित। अधिवक्ता प्राचीन द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठाधीन अधिवक्ता न्यायालय उपखण्ड अधिवक्ता लालसोट श्री नवरतन कोली का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये विचाराधीन प्रकरण पर स्थानांतरण का आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तत्कालीन पीठाधीन अधिवक्ता न्यायालय उपखण्ड अधिवक्ता लालसोट का स्थानांतरण हो जाने के कारण विचाराधीन प्रकरण पर स्थानांतरण का आगे चलाया जाना हम उचित नहीं समझते है। न्यायालय उपखण्ड अधिवक्ता किमराज में विचाराधीन मु. नं. 21/18 इनवानी सुरेश कुमार बनाम राधा वर्मा से संबंधित पत्रावली का अन्तः संकलन न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु प्राचीन इस प्रस्तुत प्रकरण पर स्थानांतरण खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिवक्ता लालसोट को भिजवाई जावे। पत्रावली फौजल सुमार देकर तम्बर संकम में निर्वय आज दिनेस 6-8-18 को सुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
 अति० जिला कलक्टर

